



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 53

दर्ज तिथि:-12.01.2024

1. कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम
 2. कानाराम पुत्र धर्मराम
 3. गंगदाराम पुत्र धर्मराम
- जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. डूंगराराम पुत्र धर्मराम
 2. भेराराम पुत्र धर्मराम
- जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्‍नोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-03.01.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 27/0.6151 है0, 28/0.1457 है0, 29/2.7438 है0, 47/5.3337 है0 मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस



संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 06.06.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2324 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2324 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 28.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/964-968 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/964-968 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
--------------------------------	--

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 27/0.6151 है0, 28/0.1457 है0, 29/2.7438 है0, 47/5.3337 है0 मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 27/0.6151 है0, 28/0.1457 है0, 29/2.7438 है0, 47/5.3337 है0 मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाइमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम हिस्सा पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.0920	बा0दो0
		28	0.0582	गै.मु. ढाणी
		29	0.0672	बा0दो0
		29	0.4667	बा0दो0
		47	1.0667	रे0दो0
किता 05 रकबा 1.7508 है0				
कानाराम पुत्र धर्मराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1651	बा0दो0
		28	0.0875	गै.मु. ढाणी
		29	0.0874	बा0दो0
		29	0.3441	बा0दो0
		47	1.0667	रे0दो0
किता 05 रकबा 1.7508 है0				

गंगदाराम पुत्र धर्मराम हि० पूर्ण जाति कलबी सा० देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1602	बा०दो०
		29	0.5239	बा०दो०
		47	1.0667	रे०दो०
किता 03 रकबा 1.7508 है०				
डूंगराराम पुत्र धर्मराम हि० 1/2 जाति कलबी भेराराम पुत्र धर्मराम हि० 1/2 जाति कलबी सा० देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1543	बा०दो०
		29	1.2475	बा०दो०
		47	2.1336	रे०दो०
किता 03 रकबा 3.5354				
कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम हि० 1/3 कानाराम पुत्र धर्मराम हि० 1/3 गंगदाराम पुत्र धर्मराम हि० 1/3 जाति कलबी सा० देह खातेदार	प्रतापगढ	29	0.0070	बा०दो०
		27	0.0435	बा०दो०
किता 02 रकबा 0.0505 है०				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 53

दर्ज तिथि:-12.01.2024

1. कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम
 2. कानाराम पुत्र धर्मराम
 3. गंगदाराम पुत्र धर्मराम
- जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. डूंगराराम पुत्र धर्मराम
 2. भेराराम पुत्र धर्मराम
- जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्णोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 27/0.6151 है0, 28/0.1457 है0, 29/2.7438 है0, 47/5.3337 है0 मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज

किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को
दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम हिस्सा पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.0920	बा0दो0
		28	0.0582	गै.मु. ढाणी
		29	0.0672	बा0दो0
		29	0.4667	बा0दो0
		47	1.0667	रे0दो0
किता 05 रकबा 1.7508 है0				
कानाराम पुत्र धर्मराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1651	बा0दो0
		28	0.0875	गै.मु. ढाणी
		29	0.0874	बा0दो0
		29	0.3441	बा0दो0
		47	1.0667	रे0दो0
किता 05 रकबा 1.7508 है0				
गंगदाराम पुत्र धर्मराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1602	बा0दो0
		29	0.5239	बा0दो0
		47	1.0667	रे0दो0
किता 03 रकबा 1.7508 है0				
डूंगराराम पुत्र धर्मराम हि0 1/2 जाति कलबी भेराराम पुत्र धर्मराम हि0 1/2 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	27	0.1543	बा0दो0
		29	1.2475	बा0दो0
		47	2.1336	रे0दो0
किता 03 रकबा 3.5354				
कैलाश चौधरी पुत्र गोदाराम हि0 1/3 कानाराम पुत्र धर्मराम हि0 1/3 गंगदाराम पुत्र धर्मराम हि0 1/3 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	प्रतापगढ	29	0.0070	बा0दो0
		27	0.0435	बा0दो0
किता 02 रकबा 0.0505 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की
खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में
पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा
असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज
खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न
करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में
रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका
आराजी ना बदले।

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

